न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :– 26/2020 तारीख 5.3.2020

01. गौरा पिता घनश्याम जाति नाई उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलिया कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
02. मानकंवर पिता घनश्याम जाति नाई उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलिया कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
03. सम्पति पिता घनश्याम जाति नाई उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलिया कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
04. अन्नु पिता घनश्याम जाति नाई उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलिया कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
05. कमला पिता प्रभु जाति नाई उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलिया कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

............प्रार्थीगण

बनाम

01. औम पिता गोपी जाति सेन उम्र वयस्क निवासी रामद्वारा के पास बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
02. राजु पिता मदन जाति सेन उम्र वयस्क निवासी रामद्वारा के पास बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
03. मोहन पिता शंम्भुलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी जाबदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
04. शंकर पिता गोकल जाति सेन उम्र वयस्क निवासी बडा दरवाजा बिजौलियां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज.)
05. कैलाश पिता गोपी जाति सेन उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज.)

............विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :– दिनांकः 25.11.2020

प्रार्थना पत्र गौरा पिता घनश्याम, मानकंवर पिता घनश्याम, सम्पति पिता घनश्याम, अन्नु पिता घनश्याम, कमला पिता प्रभु जाति नाई उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलिया कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.) ने जरिये अभिभाषक **श्री घनश्यामलाल धाकड़ एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि **मौजा बिजौलियां कलां पटवार हल्का बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 400 पर अंकित आराजी संख्या 306 रकबा 0–14 बीघा, आराजी संख्या 310 रकबा 1–18 बीघा आराजी संख्या 311 रकबा 1–08 बीघा आराजी संख्या 316 रकबा 1–04 बीघा कुल किता 4 रकबा 5–04 बीघा भूमि** पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 के अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक **बिजौलिया कलां** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस 500/– रूपयें तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थीगण अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर **मौजा बिजौलियां कलां पटवार हल्का बिजौलियां कलां तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 400 पर अंकित आराजी संख्या 306 रकबा 0–14 बीघा, आराजी संख्या 310 रकबा 1–18 बीघा आराजी संख्या 311 रकबा 1–08 बीघा आराजी संख्या 316 रकबा 1–04 बीघा कुल किता 4 रकबा 5–04 बीघा भूमि** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि.-भीलवाड़ा

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां (भीलवाड़ा)